62 II/निग0/सीधी/2018/0178

समक्ष में न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय,

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

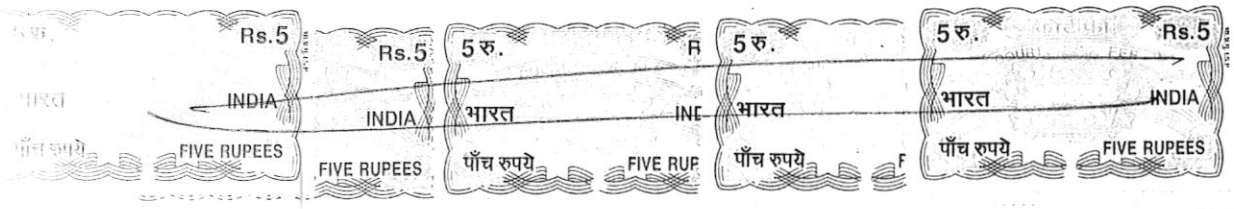

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

Rs. 30/-

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

अधि0 श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता 27-12-17

1. सनत कुमार शुक्ला उम्र 64 वर्ष, पेशा–वकालत
2. अशोक कुमार शुक्ला, उम्र 58 वर्ष, पेशा–शासकीय सेवक
3. अश्वनी कुमार शुक्ला उम्र 56 वर्ष, पेशा शासकीय सेवक

सभी के पिता स्व0 श्री रामकिशोर शुक्ला, निवासी ग्राम बुढ़गौना, थाना व तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र. ....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1. बद्री प्रसाद
2. रोशनलाल दोनो के पिता स्व0 रामपियारे, निवासी ग्राम बुढ़गौना, थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0
3. छोटेलाल तनय रामपियारे निवासी ग्राम पिपरांव थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0
4. स्व0 चन्द्रवती पत्नीं स्व0 जगदीश प्रसाद (मृतक) द्वारा वारिस पुत्र सच्चिदानन्द तनय स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पकरिहा थाना व तहसील रामपुर नैंकिन जिला सीधी म0प्र0
5. राजेश कुमार द्विवेदी उर्फ आर0के0 द्विवेदी एडवोकेट तहसील न्यायालय रामपुर नैकिन जिला–सीधी म0प्र0
6. श्रवण कुमार ~~शुक्ला~~ पिता स्व0 श्री रामकिशोर शुक्ला, निवासी ग्राम बुढ़गौना, थाना व तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.

........................गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी आदेश विरूद्ध अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी का प्रकरण कमांक 974/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

बावत् पैतृक भूमियों के सहखाते का विभाजन ग्राम बुढ़गौना स्थित आराजियात खसरा कमांक 976/1 का अंश रकवा 0.04 है0, 978 का रकवा 0.09 है0, एवं 979/1 का रकवा 0.02 है0 निगरानी कर्तागणों के हिस्से कब्जे की भूमियों को गैर निगरानीकर्तागण के नाम सहखाते के विभाजन में दर्ज करनें विषयक ।

मान्यवर,

आवेदक/निगरानींकर्तागण की ओर से निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न हैं:–

1. यह कि ग्राम बुढ़गौना थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी स्थित भूमियां खाता कमांक 344 किता 10 योग रकवा 2.62 एकड़ एवं खाता कमांक 345 किता 39 योग रकवा 7.50 एकड़ भूमियों का बटवारा गैर निगरानीकर्तागणों के आवेदन के आधार पर तहसीलदार रामपुर नैकिन के आदेश दिनांक 19.07.2012 राजस्व प्रकरण कमांक 36/अ–27/2011–12 के द्वारा कर दिया गया जिसकी अपील उपखंण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन के समक्ष की गई जो राजस्व प्रकरण कमांक 267 / अपील/2015–16 में पंजीकृत होकर आदेश दिनांक 12.05.2017 से निरस्त कर दी गई जिससे ब्यथित होकर द्वितीय अपील अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के समक्ष की गई जो दिनांक 14.12.2017 को निरस्त कर दी गई जिससे ब्यथित होकर यह निगरानीं प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानीं के आधार

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालयों केआदेश विधि विरूद्ध होकर विधिक प्रकिया के विपरीत हैं।

3. यह कि द्वितीय अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालयसे सूचना पत्र जारी किया गया जो तामील हो गया है। निगरानीकर्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिससे उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित होकर बटवारे की कार्यवाही की गई है । न्यायालय का उक्त निष्कर्ष प्रकरण में आये तथ्यों व सूचना पत्रों के आधार पर नहीं लिया गया है दोनों अपीलीय न्यायालयों में निगरानीकर्तागण बड़े

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सीधी / 2018 / भूरा / 0178

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी के प्रकरण कमांक 974 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य सहमति से बटवारा हुआ था। लेकिन आवेदक अधिवक्ता के तर्क है कि तहसीलदार को आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था लेकिन उनके द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि आवेदक को कोई सूचना बटबारा पुल्ली की नहीं दी गई थी, यह बटवारा चोरी छिपे किया गया है। 3– अपर आयुक्त रीवा कोर्ट लिंक सीधी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट लेख किया गया है कि आवेदक कमांक 1 से 4 अनुपस्थित थे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि अनावेदक 5 से 10 तक उपस्थित हुये है इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण को सूचना नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की	

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी का आदेश दिनांक 14.12.17 स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी के प्रकरण कमांक 974/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य